

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 28/10/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)
श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री जगदीश चंद्र, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री शशि प्रभाकर, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 14/10/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स निक्का मल ज्वेलर्स का एक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि वे अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए पिछली बैठक में उपस्थित नहीं हो सके और अनुमोदन समिति ने बिना सुनवाई के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अनुमोदन समिति ने मेसर्स निक्का मल ज्वेलर्स के प्रतिनिधियों को एक अलग कार्यसूची मद के रूप में सुनने का फैसला किया। अनुमोदन समिति ने मेसर्स निक्का मल ज्वेलर्स को छोड़कर 14/10/2024 को आयोजित बैठक के मिनटों की पुष्टि की।

(2) डिजिटलिस्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

सुरेन्द्र मलिक

2.1 सुश्री गुयेन वान ट्रांग और श्री सुशील शर्मा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित सेवाओं के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स डिजिटलिस्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह कमियों को सुधारने/फाइल में देखी गई/कार्यसूची में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(3) प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड - (i) अनुमोदन बोर्ड (BOA) के निर्णय के अनुसार कार्य निष्पादन की निगरानी; (ii) जॉब-वर्क की अनुमति के लिए इकाई का अनुरोध; और (iii) कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन - के संबंध में।

3.1 बैठक में इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने दिनांक 26/10/2024 को अपने ईमेल के माध्यम से प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, (i) कार्य निष्पादन की निगरानी; और (ii) जॉब-वर्क की अनुमति के लिए इकाई के अनुरोध के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि वह कारण बताए कि उन्होंने निधियों की व्यवस्था और निर्माण और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड (BOA) के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। इसके अलावा, इकाई से पूछा जा सकता है कि वे निधियों (कोष) की व्यवस्था कब करेंगे और अपना निर्माण और वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू करेंगे।

3.3 अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा सूचित निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने ईएम प्रभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नौएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(4) इंटरटेक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

4.1 श्री सिद्धार्थ मोहिन्द्रू और श्री बृज मोहन तापड़िया, निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मोहिन्द्रू ने खैनी और गुटखा को अपने प्रारंभिक विनिर्माण उत्पादों के रूप में अनुमोदित करने का अनुरोध किया। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि सिगरेट और अन्य संबंधित उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुमोदन उनकी परियोजना के शुरू होने के बाद में मांगा जा सकता है।

4.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने समिति की पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार उससे मांगे गए पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। समिति ने पाया कि आवेदक को विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत करने थे जैसे कि "(i) स्वीकृति पत्र (LOA) में मांगे गए सभी सामानों के विनिर्माण प्रवाह-चार्ट जिसमें

सुरेंद्र मलिक

कच्चे माल, मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं के साथ-साथ निर्यात किए जाने वाले अंतिम उत्पाद के एचएस कोड दिए गए हों; (ii) मेसर्स इंटरट्रेडैबैक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की कुल निवल संपत्ति, संस्थापकों द्वारा अब तक निवेशित धन, दिए गए अग्रिम और वर्तमान शेष राशि तथा इसके संस्थापकों की निवल संपत्ति का विवरण; (iii) वित्तीय प्रवाह चार्ट (प्रारूप के अनुसार); (iv) निर्यात आदेशों की प्रतियां जो आवेदक के पास हो सकती हैं, जिसमें खरीदार का पूरा विवरण (नाम, पता और संपर्क विवरण) हो; (v) मेसर्स राइजिंग सन फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते/व्यवस्था की प्रति, सहायक दस्तावेजों के साथ, आगे की जांच/विचार के लिए।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को अनुच्छेद 4.2 में उल्लिखित उपरोक्त विवरण यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/सूचनाओं की जांच करने और प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(5) वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

5.1 निदेशक श्री गौरव मनचंदा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मनचंदा ने बताया कि उनके पास उत्तराखंड के देहरादून के सिडकुल (SIDCUL) औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण सेटअप है, जिसका नौएडा, उत्तर प्रदेश में एक शोरूम है। यह बताया गया कि इकाई ने सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के कई कार्यालयों को सुसज्जित किया है।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फाइल/कार्यसूची में देखी गई कमियों को दूर करने/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(6) निक्का मल ज्वैलर्स - पर्याप्त निर्यात ऑर्डर प्राप्त होने के बाद स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कुछ समय देने और निकास आवेदन को रद्द करने का अनुरोध।

6.1 यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति ने 14/10/2024 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में मेसर्स निक्का मल ज्वैलर्स के उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया था, जिसमें इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ था। अनुमोदन समिति ने इकाई को जल्द से जल्द निकास औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया था और संपदा प्रबंधन अनुभाग को बकाया पट्टा किराया प्राप्त करने और इसे आवंटित स्थान का कब्जा लेने के लिए पीपी अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत इकाई के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 24/10/2024 के माध्यम से एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि वे अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए पिछली बैठक में उपस्थित नहीं हो सके और अनुमोदन समिति ने बिना सुनवाई के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

सुरेंद्र मलिक

6.2 अध्यक्ष की अनुमति से, अनुमोदन समिति ने मेसर्स निक्का मल ज्वेलर्स के प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर देने का निर्णय लिया, यह ध्यान में रखते हुए कि वे 14/10/2024 को आयोजित पिछली बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

6.3 इकाई के प्रतिनिधि श्री चंद्रकांत जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री जैन ने बताया कि उन्होंने 2007 से 2012 की अवधि के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से पर्याप्त निर्यात किया था। चूंकि वे लुधियाना से बाहर स्थित हैं, इसलिए उन्होंने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में उत्पादन और निर्यात की देखभाल के लिए एक प्रबंधक नियुक्त किया था। हालाँकि प्रबंधक ने उन्हें 2013 में छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने एक उपयुक्त प्रतिस्थापन खोजने की कोशिश की। हालाँकि, उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। इसलिए उन्होंने एसईजेड योजना से बाहर निकलने का फैसला किया।

6.4 श्री जैन ने आगे बताया कि उन्हें अब निर्यात आदेश प्राप्त हो गए हैं और तदनुसार उन्होंने स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। शुरू में, वे केवल सादे सोने के आभूषणों के विनिर्माण और निर्यात के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि वे नियमित रूप से पट्टा किराया चुका रहे हैं और इस खाते में कोई चूक नहीं है।

6.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, केवल सादे सोने के आभूषणों (71131911) के विनिर्माण के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया। हालाँकि, इस तथ्य को देखते हुए कि इकाई चालू नहीं थी, यह निर्यात आदेशों के सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों/फॉर्म एफ1 और अन्य प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, जैसा कि फाइल पर देखा जा सकता है। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेन्द्र मलिक

(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अश्विनी मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त